

## उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

:: आदेश ::

क्रमांक : 573/स्था.सैट/2025

जबलपुर, दिनांक 23 सितंबर, 2025

रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 320/सैट, जबलपुर दिनांक 05.06.2024, जिसके द्वारा श्री लक्ष्मनदान चारण, सहायक ग्रेड-1 उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर को खण्डपीठ इन्दौर में संलग्न किया गया था, को वापस लेते हुए उन्हें उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ, जबलपुर की स्थापना से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ, इन्दौर की स्थापना पर स्थानांतरित किया जाता है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार

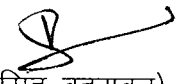
- Sd/-  
(धरमिन्दर सिंह)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक : 574/स्था.सैट/2025

जबलपुर, दिनांक सितंबर, 2025

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ-इन्दौर/ग्वालियर,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन)/कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
- ✓ 4. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर को इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय की वेबसाईट में अपलोड कराने हेतु,
5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के सेक्रेटरी टू द जजेस, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
6. विशेषकर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर,
7. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय जबलपुर/इन्दौर,
8. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ, इन्दौर,
9. लेखाधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर,
10. सहायक स्थापना/लेखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर/खण्डपीठ इन्दौर,
11. श्री लक्ष्मनदान चारण, सहायक ग्रेड-1 उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) मुख्यपीठ जबलपुर, वर्तमान में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इन्दौर में संलग्न,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

  
(हर्ष सिंह बहरावत)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)